ग्रीन हाइड्रोजन पर शोध को सेंटर बनेगा

- योगी सरकार जल्द ला सकती है ग्रीन हाइड्रोजन नीति-23
- पांच वर्षों के लिए लागू होगी नीति, यूपीनेडा बना नोडल एजेंसी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को ग्रीन हाइड्रोजन नीति-23 का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार जल्द उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-23 लेकर आ सकती है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने एवं नवाचार के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों के साथ सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए यूपीनेडा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। साथ ही सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के शोध के लिए दो सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाएगी।

दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया जाएगा निर्माण: यह नीति प्रदेश में अगले पांच वर्षों के लिए लागू होगी, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माता बनाना है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-23 का उद्देश्य प्रदेश को वर्ष 2028 तक 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाला राज्य बनाना है। इसके साथ ही प्रदेश को वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया उत्पादक और 100 प्रतिशत खपत करने वाला राज्य बनाना है। नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के शोध और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा।